पृ.क्र.-

पिछला	अगला

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

फोन नं. 0755-2674200, फैक्स नं. 0755-2634334

पत्र क्रमांक/सं.व.प्र./व.वि.अ./ 264 भोपाल, दिनांक 01-7-14

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
समस्त मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)
मध्यप्रदेश.

विषय : **वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में किये जा रहे निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले गौड़ खनिजों पर रायल्टी के संबंध में।**

सन्दर्भ: **म.प्र. शासन, वन विभाग का पत्र कमांक /2191/2474/2013/10-3 भोपाल दिनांक 23.10.2013**

वन विभाग द्वारा सभी वनमण्डलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराये जाते हैं। निर्माण कार्यो में उपयोग की जा रही अनेक सामग्रियां जैसे- मुरम, रेत, बोल्डर, फर्शी पत्थर इत्यादि का कय ठेकेदारों से किया जाता है, परन्तु ठेकेदारों को भुगतान करते समय वनमण्डलाधिकारियों द्वारा यह नहीं देखा जाता कि ठेकेदारों द्वारा कय की गई इन सामग्रियों की रायल्टी का भुगतान राज्य शासन को किया गया है अथवा नहीं। यह स्थिति आपत्तिजनक है।

उपरोक्त सभी सामग्रियां गौण खनिज की श्रेणी में आती हैं । म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 के उपनियम (1) में दिनांक 23 मार्च 2013 को किये गये संशोधन में निम्नानुसार उपबंध हैं:-

"परन्तु यह भी कि उत्खनन अनुज्ञाधारी/ठेकेदार जो निर्माण कार्य में लगे हों, निर्माण कार्य में उपयोग में लाये गये खनिज अनुज्ञा क्षेत्र से निकाले गये खनिज अथवा खुले बाजार से क्रय किये जाकर उपयोग में लाये गये खनिज के लिये रॉयल्टी के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये नो माइनिंग ड्यूज अभिप्राप्त करेंगे। नो माइनिंग ड्यूज प्रमाण-पत्र, खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनन शाखा द्वारा निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदार/उत्खनन अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात जारी किया जायेगा।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह निर्देशित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो में यह सुनिश्चित किया जाये कि ठेकेदारों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले गौण खनिज का क्रय केवल उत्खनि पट्टाधारक (लीजधारक) अथवा ठेकेदार (सप्लायर) से किया गया हो। ऐसी क्रय की स्थिति में खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी किये गये रॉयल्टी पारपत्र (अभिवहन पास) लिया जाना भी सुनिश्चित किया जावे ताकि क्रय किये गये गौण खनिज की मात्रा के आधार पर शासन को देय होने वाली रॉयल्टी के भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी स्थिति में बिना रॉयल्टी भुगतान के गौण खनिज का क्रय लीजधारक अथवा ठेकेदार (सप्लायर) से न किया जाये।

इस संबंध में पूर्व में जारी पत्र क्रमांक/1436 दिनांक 28.12.2013 निरस्त किया जाता है।

कार्यालय वन संरक्षक
क्रमांक 6853
दिनांक 5-7-14
D1

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0, भोपाल

C:\Users\...\Dropbox\...\Royalty 15-04-2014.docx